1382 जेलों में अमानवीय स्तिथि

(रिट याचिका (सी) सं. 406/2013)

फरवरी 05,2016

[मदन बी. लोकुर और आर. के. अग्रवाल, न्यायाधिपतिगण]

जेल सुधारः

भारत में जेलों की स्थितियों से संबंधित वर्तमान मामला-तत्काल आदेश द्वारा इस न्यायालय ने निर्णय दियाः सभी मनुष्यों की तरह कैदियों के साथ भी गरिमा के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए-इसे प्रभावी बनाने के लिए, कुछ सकारात्मक निर्देश पारित किए गए-प्रत्येक जिले में विचाराधीन समीक्षा समिति को समय-समय पर बैठकें करने और विचाराधीन कैदियों व दोषियों की रिहाई के लिए उचित कदमों के साथ चर्चा करने का निर्देश दिया गया -समिति धारा 436 और धारा 436ए Cr.P.C के प्रभावी कार्यान्वयन संबंधित पहलुओं पर भी गौर करे । -प्रत्येक राज्य के राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव ने यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि विचाराधीन कैदियों और दोषियों की सहायता के लिए पैनल में शामिल पर्याप्त संख्या में सक्षम वकील हों -जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के सचिव ने शमनीय अपराधों में विचाराधीन कैदियों की रिहाई के मुद्दे पर गौर करने का निर्देश दिया-जेल अधिकारियों को कैदियों की गुणवत्तापूर्ण जीवन स्थितियों में सुधार के लिए उपलब्ध धन का उचित और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया-गृह मंत्रालय महिलाओं के लिए सभी कैंद्रीय और जिला जेलों में जल्द से जल्द प्रबंधन सूचना प्रणाली सुनिश्चित करेगा और मॉडल जेल नियमावली 2016 के कार्यान्वयन की वार्षिक समीक्षा करेगा-शेष मुद्दे विशेष रूप से जेलों में अप्राकृतिक मौतों, कर्मचारियों की पर्याप्तता और कर्मचारियों के प्रशिक्षण से संबंधित सुनवाई की अगली तारीख को विचार किया जाएगा-भारत का संविधान

1950, अनुच्छेद 21- -दंड प्रक्रिया संहिता - 1973- धारा 436 , 436ए, पर विचार किया जाएगा।

मॉडल जेल नियमावली-निर्णय लिया गया- यह एक विस्तृत दस्तावेज है जिसमें 32 अध्याय हैं जो अभिरक्षा प्रबंधन, चिकित्सा देखभाल, कैदियों की शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम, कानूनी सहायता, कैदियों का कल्याण, देखभाल के बाद और पुनर्वास आदि सहित विभिन्न मुद्दों से संबंधित हैं।

किशोरों के मामले में नियमावली-महिला और बाल विकास मंत्रालय के सचिव को एक उन किशोरों के लिए नियमावली तैयार करने के लिए नोटिस जारी किया गया है जो या तो अवलोकन गृहों में हिरासत में हैं या किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के संदर्भ में सुरक्षा के विशेष गृह।

सुनील बत्रा *(द्वितीय)* बनाम दिल्ली प्रशासन (**1980) 3** एससीसी **488: 1980 (2)** एस. सी. आर. **557;** राम मूर्ति बनाम कर्नाटक राज्य **(1997) 2** एस. सी. सी. **642**; टी. के. गोपाल बनाम कर्नाटक राज्य **(2000) 6** एससीसी **168: 2000 (3)** एससीआर **1040** संदर्भित किया गया।

मामला संदर्भ

1980 (2) एससीआर 557	संदर्भित किया गया	पैरा 2
(1997) 2 एस. सी. सी. 642	संदर्भित किया गया	पैरा 4
2000 (3) एससीआर 1040	संदर्भित किया गया	पैरा 5

सिविल मूल क्षेत्राधिकार: रिट याचिका (सिविल) सं. 406/ 2013

याचिकाकर्ताओं के लिए गौरव अग्रवाल (ए.सी.)

प्रत्यर्थी की ओर से सुषमा सूरी।

न्यायालय का आदेश न्यायाधिपति मदन बी. लोकुर, निम्न द्वारा दिया गया

1. इस न्यायालय द्वारा पिछले 35 वर्षों जेल सुधार समय-समय पर की गई चर्चा और निर्णयों का विषय रहेहैं में । दुर्भाग्य से, भले ही संविधान के अनुच्छेद 21 में सभी व्यक्तियों के लिए गरिमापूर्ण जीवन की आवश्यकता है, लेकिन जहां तक कैदियों का संबंध है, जमीन पर बहुत कम बदलाव हुआ है और हमें एक बार फिर देश में जेलों और उनके सुधार से संबंधित मुद्दों से निपटने की आवश्यकता है।

2. जहाँ तक 1980 की बात है, इस न्यायालय को सुनील बत्रा (II) बनाम दिल्ली प्रशासन में कैदियों के अधिकार से निपटने का अवसर मिला था । उस निर्णय में, इस न्यायालय ने इस सवाल का बहुत स्पष्ट जवाब दिया कि क्या कैदी व्यक्ति हैं और क्या वे हिरासत में रहते हुए मौलिक अधिकारों के हकदार हैं, हालांकि मौलिक अधिकारों में कमी हो सकती है। इस संबंध में इस न्यायालय का यह कहना थाः-

> "क्या कैदी लोग हैं? हां, अवश्य। नकारात्मक में जवाब देना राष्ट्र को दोषसिद्ध ठहराना है और संविधान का अमानवीकरण और विश्व कानूनी व्यवस्था को अस्वीकार करना, जो अब कैदियों के अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा में कैदियों के अधिकारों की जिसके लिए हमारे देश ने सहमति पर हस्ताक्षर किए हैं। बत्रा मामले [(1978) 4 एससीसी 494] में, इस न्यायालय ने व्यावहारिक सिद्धांत को खारिज कर दिया है और यह फैसला सुनाया गया है कि जेल में प्रवेश करते ही मौलिक अधिकार व्यक्ति से भाग नहीं जाते हैं, हालांकि उन्हें कारावास के कारण संकुचित रहने का सामना करना पड़ सकता है।

3. कुछ समय बाद उपरोक्त निर्णय में, इस न्यायालय ने कैदियों के सामने आने वाली दोहरी बाधा की ओर इशारा किया; पहला यह कि अधिकांश कैदी समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित हैं और दूसरा यह है कि चूंकि वे एक दीवार से बंधी दुनिया में सीमित हैं, इसलिए उनकी आवाजें सुनाई नहीं देती हैं।"

इस संबंध में इस न्यायालय का क्या कहना थाः

"कैदी विशेष रूप से और दोगुने विकलांग होते हैं। एक बात तो यह है कि अधिकांश कैदी कमजोर वर्ग, गरीबी, साक्षरता, सामाजिक स्थिति आदि से संबंधित हैं। दूसरे, जेल घर एक चारदीवारी वाली दुनिया है जो मानव दुनिया के लिए संचार रहित है। इसका परिणाम यह होता है कि बंधुआ कैदी अदृश्य हो जाते हैं, उनकी आवाज सुनाई नहीं देती , उनके अन्यायों पर ध्यान नहीं दिया जाता। इसलिए यह जरूरी है, जैसा कि अनुच्छेद 21 में निहित है, कि जीवन या स्वतंत्रता को निलंबित स्थिति में नहीं रखा जाएगा या ताजा प्रवाह के बिना पशु अस्तित्व में नए सिरे से प्रवाह के बिना नहीं रखा जाएगा।”

4. राम मूर्ति बनाम कर्नाटक राज्य [(1997) 2 एस. सी. सी. 642] इस न्यायालय ने जेलों का सामना करने वाले और सुधार की आवश्यकता वाले नौ मुद्दों की पहचान की। वे हैं:

(i) अत्यधिक भीड़भाड़;

(ii) मुकदमे में देरी;

(iii) यातना और दुर्व्यवहार;

(iv) स्वास्थ्य और स्वच्छता की उपेक्षा;

(v) अपर्याप्त भोजन और अपर्याप्त कपड़े;

(vi) जेल की बुराइयाँ;

(vii) संचार में कमी

(vii) जेल यात्राओं को सुव्यवस्थित करना;

(ix) खुली हवा वाली जेलों का प्रबंधन।

इस न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि इन प्रमुख समस्याओं पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। दुर्भाग्य से, हम अभी भी इनमें से कम से कम कुछ समस्याओं के समाधान के साथ संघर्ष कर रहे हैं।

5. टी. के. गोपाल बनाम कर्नाटक राज्य [(2000) 6 एस. सी. सी. 168] इस न्यायालय ने कैदियों की आपराधिक प्रवृत्तियों से निपटने में एक चिकित्सीय दृष्टिकोण की वकालत की। यह बताया गया कि ऐसे कई कारक हो सकते हैं जो एक कैदी को अपराध करने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन फिर भी एक कैदी को सभी बुनियादी मानवाधिकारों, मानव गरिमा और मानव सहानुभूति के हकदार व्यक्ति के रूप में माना जाना चाहिए। यह बताया गया कि यह वह दर्शन है जिसने जेल सुधारों की आवश्यकता को पेश करने के लिए निर्णयों की एक श्रृंखला में इस न्यायालय को प्रेरित किया है। इस न्यायालय को यही कहना था:-

> "चिकित्सीय दृष्टिकोण का उद्देश्य उन आपराधिक प्रवृत्तियों को ठीक करना है जो एक रोगग्रस्त मनोविज्ञान का उत्पाद थे। पारिवारिक समस्याओं सहित कई कारक हो सकते हैं। हम उन कारकों से चिंतित नहीं हैं क्योंकि चिकित्सीय दृष्टिकोण को तब से सजा की एक प्रभावी

विधि के रूप में माना जाता है जो कि केवल कानून की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है कि एक अपराधी को दंडित किया जाना चाहिए और निर्धारित दंड उसे मिलना चाहिए, बल्कि विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से अपराधी को सुधारता भी है, जिनमें से सबसे बुनियादी यह है कि अपराध करने के बावजूद, शायद एक जघन्य अपराध, उसे सभी बुनियादी मानवाधिकारों, मानवीय गरिमा और मानवीय सहानुभूति के हकदार एक इंसान के रूप में माना जाना चाहिए। इस सिद्धांत के तहत इस न्यायालय ने निर्णयों की एक धारा में, जेल सुधारों की आवश्यकता को स्वीकार करने की आवश्यकता का अनुमान लगाया। यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि जेल में बंद होने के बाद कैदी अपने मौलिक अधिकार या बुनियादी मानवाधिकार नहीं खोता है और उसके साथ दया और सहानुभूति का व्यवहार किया जाना चाहिए।"

6. इस पृष्ठभूमि में 13 जून, 2013 को भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर. सी. लाहोटी द्वारा माननीय मुख्य न्यायाधीश को संबोधित एक पत्र, जेलों की स्थितियों से संबंधित भारत का न्याय काफी परेशान करने वाला है। जस्टिस आर. सी. लाहोटी ने दैनिक भास्कर (राष्ट्रीय संस्करण) 24 मार्च, 2013 में प्रकाशित एक चित्रमय कहानी में प्रतिबिंबित 1382 भारत की जेलें में प्रचलित अमानवीय स्थितियों की ओर ध्यान आकर्षित किया है । पत्र के साथ ग्राफिक कहानी की एक फोटोकॉपी संलग्न की गई थी।

न्यायमूर्ति आर. सी. लाहोटी ने बताया कि कहानी निम्न पर प्रकाश डालती हैः-

(i) जेलों में भीड़भाड़;

(ii) कैदियों की अप्राकृतिक मृत्यु।

(iii) कर्मचारियों की घोर अपर्याप्तता और

(iv) अप्रशिक्षित या अपर्याप्त रूप से प्रशिक्षित उपलब्ध कर्मचारी।

7. न्यायमूर्ति आर. सी. लाहोटी ने यह भी बताया कि राज्य हिरासत में रहने के बाद किसी कैदी के जीवन और सुरक्षा के प्रति अपने दायित्व से इनकार नहीं कर सकता है और यह कि पहली बार अपराध करने वालों के लिए और अपनी युवावस्था में कैदियों के लिए और उन्हें कठोर कैदियों के संपर्क में आने से बचाने के लिए शायद ही सुधार की कोई योजना थी ।

8. न्यायमूर्ति आर.सी. लाहोटी ने पत्र को यह कहते हुए समाप्त किया कि ग्राफिक स्टोरी ने एक मुद्दा उठाया है जिस पर इस न्यायालय द्वारा सार्वजनिक हित में ध्यान देने और निपटाने की आवश्यकता है और वह देश के नागरिक के रूप में इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। हम कह सकते हैं कि न्यायमूर्ति आर.सी. लाहोटी ने इस दृष्टिकोण को खारिज करते हुए एक महत्वपूर्ण मुद्दे को सामने लाया है:

> "न्यायाधीश शायद ही कभी अमानवीय व्यवहार के लिए चिंता व्यक्त करते हैं सजा पाने वाले व्यक्ति को साथी कैदियों से सामना होने की संभावना है और जेल अधिकारी, या जेल में बिताया गया समय ख़राब तैयारी प्रदान करता है उसके बाद एक उत्पादक जीवन के लिए। अदालतें शायद ही कभी इसे दुखद मानती हैं व्यक्तिगत अतीत जो आपराधिक व्यवहार के लिए आंशिक रूप से जिम्मेदार हो सकते हैं, या प्रतिवादी के समुदाय और परिवार कैसे पीड़ित होंगे उसके कारावास के दौरान और उसके लंबे समय बाद तक।"

9. दिनांक 5* जुलाई, 2013 के एक आदेश द्वारा पत्र को एक जनहित रिट याचिका के रूप में पंजीकृत किया गया था और इस न्यायालय की रजिस्ट्री को विद्वान अटॉर्नी ज़नरल के कार्यालय से एक सूची प्राप्त करने के बाद उपयुक्त अधिकारियों को नोटिस जारी करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया गया था ।

10. इस न्यायालय द्वारा जारी नोटिस के जवाब में, कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने या तो इस न्यायालय की रजिस्ट्री को संबोधित संचार के रूप में या हलफनामे के रूप में अपनी प्रतिक्रिया दी। हमारे लिए प्रत्येक प्रतिक्रिया का विवरण देना आवश्यक नहीं है। इतना कहना पर्याप्त होगा कि न्यायमूर्ति आर.सी. द्वारा उठाए गए चार मुद्दों पर। लाहोटी की आम सहमति है कि जेलें (केंद्रीय और जिला दोनों) भीड़भाड़ वाली हैं, कुछ जेलों में कुछ अप्राकृतिक मौतें हुई हैं, आम तौर पर कर्मचारियों की कमी है और ऐसा नहीं है कि वे सभी जेलों से संबंधित मुद्दों को संभालने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त रूप से प्रशिक्षित हैं। जेलों और कैदियों का प्रबंधन और अंत में वे कदम उठाए गए हैं कैदियों के सुधार और पुनर्वास के लिए लिया गया। हालांकि, प्राप्त प्रतिक्रियाओं की बारीकी से जांच से संकेत मिलता है कि मोटे तौर पर उठाए गए कदम आसान हैं और कार्यान्वयन में पर्याप्त ईमानदारी की कमी है।

11. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय की सामाजिक न्याय पीठ ने 13 मार्च, 2015 को भारत संघ से मुख्य रूप से जेलों में अत्यधिक भीड़भाड़ और रहने की स्थिति में सुधार के अधिक गंभीर मुद्दे से संबंधित कुछ जानकारी प्रस्तुत करने के लिए एक आदेश पारित करने की मांग की। 13 मार्च, 2015 को सामाजिक न्याय पीठ द्वारा पारित आदेश इस प्रकार है:

> "हमने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल को सुना है और निम्नलिखित मुद्दों पर जानकारी चाहेंगे:

(i) जेलों की स्थिति में सुधार के लिए 13 वें वित्त आयोग के तहत 609 करोड़ रुपये के अनुदान का उपयोग

(ii)14 वें वित्त आयोग के तहत जेलों के संबंध में राज्यों को अनुदान।

(iii) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 436 ए के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए और उठाए जा रहे कदम।

(iv) केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए और उठाए जा रहे कदम और राज्य सरकारें एफ के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आपराधिक संहिता की धारा 436 का स्पष्टीकरण प्रक्रिया, 1973 और हिरासत में रखे गए व्यक्तियों की संख्या उनके लिए पर्याप्त सुरक्षा/ज़मानत प्रदान करने में उनकी असमर्थता जमानत पर रिहाई।

(v)हिरासत में ऐसे व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने समझौता योग्य अपराध किए हैं और हिरासत में बंद हैं ।

(vi) कैदियों के प्रत्यावर्तन अधिनियम, 2003 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उठाए गए कदम।

हम उम्मीद करते हैं कि इस संबंध में सभी राज्य सरकारें केंद्र सरकार के साथ पूर्ण सहयोग करेंगी क्योंकि इस मामले में संविधान का अनुच्छेद 21 शामिल है और तीन सप्ताह के भीतर आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करें।

24 अप्रैल, 2015 को मामले को सूचीबद्ध करें।”

12. उपरोक्त आदेश के अनुपालन में, भारत संघ ने गृह मंत्रालय के माध्यम से 23 अप्रैल, 2015 को एक विस्तृत हलफनामा दायर किया। हलफनामे में कहा गया था कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवश्यकतानुसार जानकारी प्रदान करने के लिए कहा गया था । इस न्यायालय द्वारा लेकिन अनुस्मारक और बैठकों के बावजूद, उत्तराखंड राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव और लक्षद्वीप से जानकारी प्राप्त नहीं हुई थी।

13. यह कहा गया था कि प्राप्त जानकारी को एकत्र करने में आने वाली समस्याओं में से एक यह थी कि प्रबंधन सूचना प्रणाली व्यापक तरीके से मौजूद नहीं थी। इस स्थिति का समाधान करने के लिए एक ई-प्रिज़न एप्लिकेशन डिज़ाइन किया जा रहा था ताकि सभी आवश्यक डेटा को केंद्रीय रूप से एकत्र किया जा सके। हलफनामे में कहा गया था कि एक परियोजना प्रबंधन परामर्श के माध्यम से एक मसौदा परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही थी ताकि क़ैदियों के लिए विशेष रूप से विचाराधीन कैदियों की स्थिति की बेहतर निगरानी के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एकीकृत जानकारी के साथ एक ई-जेल एप्लिकेशन शुरू किया जा सके।

14. पहले मुद्दे के जवाब में, यह हलफनामे में बताया गया था एक सारणीबद्ध विवरण के रूप में कि कई राज्यों के संबंध में जेलों में स्थितियों में सुधार के लिए 13वें वित्त आयोग के तहत धन उपलब्ध कराया गया था। हम आश्चर्यचकित हैं कि 19 राज्यों में कोई अनुदान आवंटित नहीं किया गया था और जिन राज्यों में अनुदान आवंटित किया गया था, त्रिपुरा राज्य को छोड़कर उपयोग 100% से कम था।

15. 14वें वित्त आयोग के तहत अनुदान के संबंध में, यह कहा गया कि 14वें वित्त आयोग ने रिपोर्ट दी थी कि राज्यों के पास उनकी आवश्यकताओं के अनुसार

अतिरिक्त व्यय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उचित राजकोषीय स्थान है। 14वें वित्त जी आयोग ने केंद्र सरकार के पक्ष में कोई विशिष्ट निधि आवंटन नहीं किया था, लेकिन राज्यों ने व्यक्तिगत रूप से अपनी मांगें रखी थीं और उस संबंध में सारणीबद्ध विवरण हलफनामे के साथ संलग्न है। जहां तक केंद्र शासित प्रदेशों का सवाल है, दिल्ली और पुडुचेरी के अलावा किसी भी केंद्र शासित प्रदेश ने कोई मांग पेश नहीं की थी।

16. दंड प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में सीआरपीसी) की धारा 436ए के प्रभावी कार्यान्वयन के संबंध में तीसरे मुद्दे के संबंध में, शपथ पत्र में कहा गया है कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा एक सलाह जारी की गई थी। 17 जनवरी, 2013 को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जेलों में भीड़भाड़ कम करने के लिए सीआरपीसी की धारा 436ए के प्रावधानों को लागू करने के लिए आदेश दिया गया। गृह मंत्रालय द्वारा इस संबंध में सुझाए गए उपायों में हर जिले में एक समीक्षा समिति का गठन करना शामिल था, जिसकी अध्यक्षता जिला न्यायाधीश करेंगे, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक सदस्य होंगे, जो हर तीन महीने में बैठक करेंगे और विचाराधीन कैदियों की मामलों की समीक्षा करेंगे। जेल अधीक्षकों को उन सभी मामलों का सर्वेक्षण करने की भी आवश्यकता थी जहां विचाराधीन कैदियों ने अधिकतम सजा का एक चौथाई से अधिक पूरा कर लिया है और इस संबंध में कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत गठित जिला कानूनी सेवा समिति को एक रिपोर्ट भी भेजनी थी। समीक्षा समिति के रूप में. यह भी सुझाव दिया गया कि जेल अधिकारियों को विचाराधीन कैदियों को जमानत के अधिकार के बारे में शिक्षित करना चाहिए और जिला कानूनी सेवा समिति को विचाराधीन कैदियों को जमानत पर रिहा करने या जमानत राशि कम करने के लिए पैनल में शामिल वकीलों के माध्यम से कानूनी सहायता प्रदान करनी चाहिए। गृह विभाग राज्यों से इस संबंध में जेल-वार प्रगति

सुनिश्चित करने के लिए एक प्रबंधन सूचना प्रणाली विकसित करने का भी अनुरोध किया गया।

17. 17 जनवरी, 2013 की उपरोक्त सलाह का पालन 3 सितंबर, 2014 को मुख्यमंत्रियों/उपराज्यपालों को केंद्रीय गृह मंत्री के एक पत्र के माध्यम से किया गया था। पत्र में बताया गया था कि राष्ट्रीय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के अनुसार 31 दिसंबर, 2013 को विचाराधीन कैदियों की संख्या पूरी जेल की आबादी का 67.6% थी और यह प्रतिशत अस्वीकार्य रूप से अधिक था। इस संदर्भ में यह सुझाव दिया गया था कि सीआरपीसी की धारा 436 के प्रावधान के साथ ही सीआरपीसी की धारा 436 ए का उपयोग करना पड़ेगा। यह भी सुझाव दिया गया कि प्ली बार्गेनिंग के प्रावधानों का उपयोग करने, फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना, लोक अदालतों का आयोजन और सीधे या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत के समक्ष अभियुक्तों की पेशी के लिए पर्याप्त साधन सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएं।

18. गृह मंत्रालय द्वारा 22 सितंबर, 2014 को सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के जेल महानिदेशकों को एक और पत्र दिनांक 5 सितंबर, 2014 भेजा गया था, भीम सिंह बनाम भारत संघ जो Cr.P.C की धारा 436A से संबंधित है उसकी ओर ध्यान आकर्षित करने और इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश का पालन करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए ।

19. इसी तरह, भारत सरकार द्वारा 27 सितंबर, 2014 को एक और परामर्श जारी किया गया था। यह शपथ पत्र में माना गया था कि इन सलाहों और संचार के परिणामस्वरूप, कुछ विचाराधीन कैदियों को Cr.P.C की धारा 436A के प्रावधानों के कार्यान्वयन में रिहा कर दिया गया है।

20. चौथे मुद्दे के संबंध में सीआरपीसी की धारा 436 के प्रभावी कार्यान्वयन के संबंध में हलफनामे में कहा गया है कि 9 मई, 2011 को एक एडवाइजरी जारी की गई थी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह बताया गया था कि जेल में भीड़भाड़ के कारण कैदियों को ऐसी परिस्थितियों में रखा जाता है जो अस्वीकार्य हैं। अपराधियों के साथ व्यवहार के लिए संयुक्त राष्ट्र मानक न्यूनतम नियम, जिस पर भारत हस्ताक्षरकर्ता है। यह बताया गया कि 31 दिसंबर, 2008 तक एनसीआरबी द्वारा तैयार किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत की जेलों में 129% की सीमा तक भीड़भाड़ थी। सलाहकार ने विचाराधीन कैदियों की संख्या को कम करने के लिए राज्यों द्वारा उठाए गए कुछ उपायों पर प्रकाश डाला, जिसमें अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के तहत उनकी रिहाई और जिला कानूनी सेवाओं के सहयोग से गैर सरकारी संगठनों को प्रोत्साहित करना शामिल है। गैर-प्रतिनिधित्व वाले विचाराधीन कैदियों के लिए कानूनी सहायता की व्यवस्था करने के साथ-साथ राजेंद्र बिडकर बनाम महाराष्ट्र राज्य, सीडब्ल्यूपी संख्या 386/ 2004(गैर-रिपोर्टेड निर्णय) में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों को लागू करना शामिल है।

21. शमनीय अपराधों में जेलों में बंद व्यक्तियों की संख्या से संबंधित पांचवें मुद्दे के संबंध में, एक चार्ट एफ को हलफनामे के साथ संलग्न किया गया था, जिसमें संकेत दिया गया था कि कई राज्यों ने कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए हैं। इस संबंध में विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, असम , छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरल, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब , राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश। कई विचाराधीन कैदियों की रिहाई न होने का कारण उनकी रिहाई के लिए सुरक्षा और ज़मानत प्रदान करने में असमर्थता थी। इन कैदियों को हिरासत से रिहा करने के लिए क्या कदम उठाए गए, इसका जिक्र शपथ पत्र में नहीं किया गया।

22. कैदियों के प्रत्यावर्तन अधिनियम, 2003 के प्रभावी कार्यान्वयन के संबंध में यह कहा गया था कि सजा पाए व्यक्तियों पर 25 देशों के साथ द्वीपक्षीय हस्ताक्षर किए गए हैं, लेकिन समझौते 18 देशों के लिए दोनों पक्षों द्वारा अनुसमर्थन के बाद ही लागू होते हैं। इसके अलावा, विदेश में आपराधिक सजा देने पर अंतर-अमेरिकी समझौते के तहत 19 देशों के साथ हस्तांतरण की व्यवस्था की गई है, जिससे उन देशों की कुल 37 संख्या हो गई है जिनके साथ कैदियों के स्थानांतरण की व्यवस्था की गई है।

23. 23 अप्रैल, 2015 को दायर किए गए शपथ पत्र को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुछ हद तक उदासीन प्रतिक्रिया, सामाजिक न्याय पीठ ने 24 अप्रैल, 2015 को निम्नलिखित निर्देश पारित किएः

> "हमने गृह मंत्रालय द्वारा दायर शपथ पत्र दिनांकित 23 अप्रैल, 2015 का अध्ययन किया है और मामले में विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने है।
>
> स्वीकार की गई स्थिति यह है कि जेलों में सभी कैदियों में से 67 प्रतिशत विचाराधीन कैदी हैं। यह एक अत्यधिक उच्च प्रतिशत है और ऐसे कैदियों की संख्या 31 दिसंबर, 2013 को लगभग 2,78,000 बताई जाती है।
>
> इसे ध्यान में रखते हुए और शपथ पत्र में दिए गए विभिन्न सुझावों को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि निम्नलिखित निर्देश जारी किए जाने चाहिएः
>
> कैदी प्रबंधन प्रणाली (एक प्रकार का प्रबंधन)
>
> 1. जैसा कि हलफनामे में कहा गया है, तिहाड़ जेल में काफी समय से कैदी प्रबंधन प्रणाली (एक प्रकार की प्रबंधन सूचना प्रणाली) का

उपयोग किया जा रहा है। गृह मंत्रालय को इस एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और इस संबंध में किसी भी सुझाव या संशोधन के साथ सुनवाई की अगली तारीख पर हमें वापस आना चाहिए, ताकि सॉफ्टवेयर में सुधार किया जा सके और फिर देश भर की अन्य जेलों में ज़रूरत अनुसार तैनात किया जा सके।

2. हम देश में कैदियों से संबंधित इस महत्वपूर्ण मामले में राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (नालसा) की सहायता चाहेंगे। हम नालसा के सदस्य सचिव को हमारी सहायता करने और इस मामले में उत्पन्न होने वाले मुद्दों से निपटने के लिए एक वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश देते हैं

3. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में "संहिता") की धारा 436ए के कार्यान्वयन के उद्देश्य से, गृह मंत्रालय ने 17 जनवरी, 2013 को एक परामर्श जारी किया है। परामर्श की आवश्यकताओं में से एक यह है कि प्रत्येक जिले में एक विचाराधीन समीक्षा समिति का गठन किया जाना चाहिए। विचाराधीन समीक्षा समिति का गठन जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष के रूप में, जिला मजिस्ट्रेट और जिला पुलिस अधीक्षक सदस्य के रूप में होता है।

एन. ए. एल. एस. ए. के सदस्य सचिव, राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण और गृह मंत्रालय के साथ समन्वय में, तत्काल यह सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह की विचाराधीन समीक्षा की जाए। एक महीने के भीतर प्रत्येक जिले में समिति का गठन किया जाता है।

ऐसी प्रत्येक समिति की अगली बैठक 30 जून, 2015 को या उसके आसपास होनी चाहिए।

4. 30 जून, 2015 को या उसके आसपास होने वाली बैठक में अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी को उन सभी विचाराधीन कैदियों के मामलों पर विचार करना चाहिए जो संहिता की धारा 436 ए के लाभ के हकदार हैं। गृह मंत्रालय ने संकेत दिया है कि कई अपराधों में कारावास की अलग-अलग अवधि होने पर, अधिक सजा वाले अपराध के लिए कारावास की आधी अवधि पूरी होने के बाद कैदी को रिहा किया जाना चाहिए। हमारी राय में, हालाँकि यह संहिता की धारा 436ए की आवश्यकता हो सकती है, यह उचित होगा यदि एकाधिक अपराधों के मामले में, विचाराधीन कैदी द्वारा कम अपराध की आधी सजा पूरी करने के बाद समीक्षा की जाए। यह आवश्यक या अनिवार्य नहीं है कि किसी विचाराधीन कैदी को उसकी अधिकतम सजा की कम से कम आधी अवधि तक केवल इसलिए हिरासत में रखा जाए क्योंकि मुकदमा समय पर पूरा नहीं हुआ है।

5. जैसा कि शपथ पत्र में कहा गया है, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने 2003 में एक मॉडल जेल मैनुअल प्रसारित किया था। लगभग 12 वर्ष बीत चुके हैं और तब से परिस्थितियों और प्रौद्योगिकी की उपलब्धता में भारी बदलाव आया है। हम गृह मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं कि पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो तीन महीने की अवधि के भीतर मॉडल जेल मैनुअल की

समीक्षा करे। हमें बताया गया है कि समीक्षा पहले ही शुरू हो चुकी है। हमें उम्मीद है कि यह तीन महीने के भीतर पूरा हो जाएगा।

6. नालसा के सदस्य सचिव को राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण को उन कैदियों के मामलों को तत्काल लेने के लिए आदेश देना चाहिए जो जमानत देने में असमर्थ हैं और इस कारण अभी भी हिरासत में हैं। मंत्रालय द्वारा दायर हलफनामे में सामने आए आंकड़ों से पता चलता है कि बड़ी संख्या में ऐसे कैदी हैं जो केवल अपनी गरीबी के कारण हिरासत में हैं। यह निश्चित रूप से कानून की भावना नहीं है और गरीबी किसी व्यक्ति को कैद में रखने का आधार नहीं हो सकती। गृह मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य में ऐसे लगभग 530 व्यक्ति हैं। राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों को पैनल वकीलों को ऐसे कैदियों से तत्काल मिलने, उनके साथ मामले पर चर्चा करने और ऐसे व्यक्तियों की रिहाई के लिए उपयुक्त अदालत के समक्ष उचित आवेदन दायर करने का निर्देश देना चाहिए, जब तक कि उन्हें किसी अन्य उद्देश्य के लिए हिरासत में रखने की आवश्यकता न हो।

7 . बड़ी संख्या में ऐसे समझौता योग्य अपराध हैं जिनके लिए व्यक्ति हिरासत में हैं। ऐसा लगता है कि उन अपराधों को कम करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है और इसके बजाय कथित अपराधी को जेल में डाल दिया गया है। राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों को नालसा के सदस्य सचिव के माध्यम से निर्देशित किया जाता है कि वे पैनल वकीलों के साथ इस मुद्दे को तत्काल उठाएं ताकि जहां भी

अपराधों को कम किया जा सकता है, वहां तत्काल कदम उठाए जाएं और जहां भी अपराधों को समझौता नहीं किया जा सके, वहां प्रयास किए जाएं। उन मामलों के निपटारे में तेजी लाने के लिए कम से कम यह प्रयास किया जाना चाहिए कि हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को जल्द से जल्द रिहा किया जाए।

इस आदेश की एक प्रति अनुपालन हेतु सदस्य सचिव, नालसा को तुरंत दी जाए।

आगे के निर्देशों और प्रगति को अद्यतन करने के लिए मामले को 7 अगस्त, 2015 को सूचीबद्ध करें।

फिलहाल, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विद्वान वकील की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। तदनुसार, उनकी उपस्थिति समाप्त कर दी गई है।"

24. 24 अप्रैल, 2015 के आदेश में विचाराधीन कैदियों के अत्यधिक उच्च प्रतिशत का स्पष्ट संदर्भ दिया गया था और कुल संख्या 31 दिसंबर, 2013 को कैदियों की संख्या थी।

25. इस तथ्य का भी संदर्भ दिया गया कि पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने 2003 में एक मॉडल जेल मैनुअल प्रसारित किया था, लेकिन लगभग 12 साल बीत जाने के बाद, गृह मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया था कि पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो तीन महीनों की अवधि के भीतर मॉडल जेल मैनुअल की समीक्षा करता है।

26. सामाजिक न्याय पीठ की सहायता के लिए राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (नालसा) को निर्देश जारी किए गए थे और मामले में उत्पन्न होने वाले मुद्दों से निपटने के लिए ।

27. अंडर ट्रायल को सुनिश्चित करने के लिए एक निर्देश भी जारी किया गया था सभी जिलों में एक माह के अंदर समीक्षा समिति का गठन किया जाता है एनच जिले में उस समिति की बैठक आयोजित की जानी चाहिए या लगभग 30 जून, 2015 को नालसा को इस मुद्दे को उठाना आवश्यक था विशेष रूप से उत्तर प्रदेश राज्य में विचाराधीन कैदी लगभग 530 व्यक्ति केवल अपनी गरीबी के कारण हिरासत में थे।

28. उपरोक्त आदेश और निर्देशों के अनुसार, नालसा ने 4 अगस्त, 2015 को एक अनुपालन रिपोर्ट दायर की जिसमें यह कहा गया कि यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं कि हर जिले में अंडर ट्रायल समीक्षा समितियां स्थापित की जाएं और राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण उन कैदियों के मामलों को भी उठाने के लिए कहा गया जो जमानत मुचलका और उनकी ओर से उचित आवेदन प्रस्तुत करने में असमर्थ थे।

29. अनुपालन रिपोर्ट में कहा गया है कि कैदी प्रबंधन प्रणाली के संबंध में, गृह मंत्रालय ने एफ ई-प्रिजन्स परियोजना के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए पहले ही एक परियोजना प्रबंधन सलाहकार नियुक्त कर दिया था। यह कहा गया था कि चार जेल सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन थे जो (i) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (ii) गोवा इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड (iii) टीसीएस के माध्यम से गुजरात सरकार और (iv) फीनिक्स द्वारा हरियाणा में जेल प्रबंधन प्रणाली के लिए विकसित किए गए थे। 20 अगस्त, 2015 को महानिदेशक (कारागार) /महानिरीक्षक (कारागार) के सम्मेलन में विभिन्न आवेदनों का मूल्यांकन और चर्चा की जाएगी।

30. अनुपालन रिपोर्ट ने विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित विचाराधीन समीक्षा समितियों की बैठकों के विभाजन का भी संकेत दिया। राज्यों और 30 जून, 2015 को या उसके आसपास होने वाली बैठक की रिपोर्ट अभी भी कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्रतीक्षित थी।

31. मॉडल जेल नियमावली के संबंध में यह प्रस्तुत किया गया था कि मसौदा तैयार किया गया था और टिप्पणियों के लिए वितरित किया गया था और मसौदे को अंतिम रूप देने के लिए अगस्त, 2015 में एक और बैठक आयोजित की जानी थी।

32. विचाराधीन कैदियों के मामलों के संबंध में जो थे जमानत बांड प्रस्तुत करने में असमर्थ यह कहा गया कि लगभग 3470 ऐसे व्यक्ति जमानत बांड प्रस्तुत करने में असमर्थता के कारण हिरासत में थे और ऐसे विचाराधीन कैदियों की अधिकतम संख्या महाराष्ट्र राज्य में थी, यानी 797 विचाराधीन कैदी। यह कहा गया कि 3278 विचाराधीन कैदी ऐसे थे जो शमनीय अपराधों में शामिल थे और उनके मामलों के निपटारे में तेजी लाने के प्रयास किए जा रहे थे।

33. अनुपालन रिपोर्ट के साथ-साथ कुछ अंतरालों को ध्यान में रखते हुए, जिन को भरना आवश्यक प्रतीत हुआ, सामाजिक न्याय पीठ 7 अगस्त, 2015 को एक आदेश जारी किया गया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित की भी आवश्यकता थी परीक्षण समीक्षा समिति में जिला कानूनी सचिव को शामिल किया जाएगा समीक्षा समिति के सदस्यों में से एक के रूप में सेवा समिति। गृह मंत्रालय को इस संबंध में उचित आदेश जारी करने का निर्देश दिया गया ।

34. मॉडल जेल मैनुअल के संबंध में, भारत संघ की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल को यह सुझाव दिया गया था कि मॉडल जेल मैनुअल को देखने वाली समिति की संरचना एक बहु-विषयक निकाय होनी चाहिए जिसमें नागरिक

समाज के सदस्य शामिल हों। और गैर सरकारी संगठनों के साथ-साथ अन्य विशेषज्ञ भी। यह भी निर्देश दिया गया कि मॉडल जेल मैनुअल को कैदियों के बच्चों के लिए क्रेच उपलब्ध कराने पर ध्यान देना चाहिए।

35. महाराष्ट्र राज्य में विचाराधीन कैदियों की बड़ी संख्या के संबंध में, यह निर्देश दिया गया कि मामले की समीक्षा की जाए और पर्याप्त संख्या में कानूनी सहायता वकील नियुक्त किए जाएं ताकि रिहाई के संबंध में आवश्यक कदम उठाए जा सकें। कानून के अनुसार विचाराधीन कैदियों, विशेष रूप से जिन्हें जमानत दी गई थी, लेकिन अपनी गरीबी के कारण जमानत बांड भरने में असमर्थ थे।

7 अगस्त, 2015 का आदेश इस प्रकार हैः

> "हमने नालसा की ओर से दायर अनुपालन रिपोर्ट का अध्ययन किया है और हम निर्धारित समय सीमा के भीतर नालसा द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हैं। रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि अंडर ट्रायल रिव्यूबड़ी संख्या में जिलों में समितियां स्थापित की गई हैं, लेकिन देश भर के सभी जिलों में इनकी स्थापना नहीं की गई है। श्री राजेश कुमार गोयल, निदेशक, नालसा, नोडल अधिकारी इस मामले को देखेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि, जहां भी आवश्यक हो, अंडर ट्रायल समीक्षा की जाए। समिति की स्थापना होनी चाहिए और नियमित रूप से बैठक होनी चाहिए।
>
> हमें बताया गया है कि अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी में जिला न्यायाधीश, पुलिस अधीक्षक और जिला मजिस्ट्रेट शामिल हैं। चूंकि विचाराधीन कैदियों से संबंधित मुद्दे जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों के लिए भी बड़ी चिंता का विषय हैं, इसलिए हम निर्देश देते हैं कि

विचाराधीन समीक्षा समिति में जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के सचिव भी समिति के सदस्यों में से एक होने चाहिए। गृह मंत्रालय इस संबंध में पुलिस अधीक्षक को ऐसी बैठकों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को शामिल करने के लिए आवश्यक आदेश जारी करेगा।

बताया गया है कि जहां तक कैदियों के लिए एक सॉफ्टवेयर का सवाल है, गृह मंत्रालय ने एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट नियुक्त किया है और फिलहाल जेल प्रबंधन के संबंध में देश में चार तरह के सॉफ्टवेयर मौजूद हैं। कहा कि 20 अगस्त 2015 को मौजूदा एप्लिकेशन सॉफ़्टवेयर का मूल्यांकन करने के लिए महानिदेशक (कारागार)/महानिरीक्षक (कारागार) के साथ बैठक होगी।

हम इस मामले में जल्द निर्णय और लिए गए निर्णय के जल्द कार्यान्वयन की उम्मीद करते हैं।

यह कहा गया है कि एक मॉडल जेल नियमावली की जांच की जा रही है क्योंकि पहले की नियमावली काफी पुरानी थी। हमें बताया गया है कि मॉडल प्रिज़न मैनुअल को अंतिम रूप देने के लिए इस महीने के अंत में एक बैठक होने की संभावना है।

विद्वान एएसजी हमें उस समिति की संरचना के बारे में सूचित करने में असमर्थ हैं जो मॉडल जेल मैनुअल को देख रही है। हमने उन्हें सुझाव दिया है (और यह सुझाव स्वीकार कर लिया गया है) कि एक बहु-विषयक निकाय जिसमें सिविल सोसाइटी के सदस्य, विचाराधीन कैदियों से संबंधित गैर सरकारी संगठन और शिक्षा सहित

कुछ अन्य विषयों के विशेषज्ञ भी शामिल हों और जिनकी सहायता आवश्यक हो, व्यापक मॉडल जेल मैनुअल का मसौदा तैयार करने में शामिल हों।

जहां तक संभव हो, मॉडल जेल मैनुअल को जल्द से जल्द और अधिमानतः एक या दो महीने के भीतर अंतिम रूप दिया जाना चाहिए , लेकिन उपरोक्त के अनुसार एक बहु-विषयक निकाय के साथ व्यापक और गहन परामर्श के बाद।

मॉडल जेल मैनुअल में, गृह मंत्रालय को कैदियों के बच्चों, विशेषकर महिला कैदियों के लिए एक क्रेच की संभावना पर भी गौर करना चाहिए जैसा कि तिहाड़ जेल में मौजूद है।

हमने पाया है कि महाराष्ट्र राज्य में विचाराधीन कैदियों की संख्या बहुत बड़ी है और हम यह भी सोचते हैं कि विचाराधीन कैदियों की शिकायतों को देखने के लिए पर्याप्त संख्या में कानूनी सहायता वकील नहीं हैं। नालसा के निदेशक, श्री राजेश कुमार गोयल, नालसा की ओर से कहते हैं कि पर्याप्त संख्या में कानूनी सहायता वकीलों की नियुक्ति के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे ताकि कानून के अनुसार विचाराधीन कैदियों की रिहाई के संबंध में आवश्यक कदम उठाए जा सकें। जमानत दे दी गई है लेकिन जमानत बांड भरने में असमर्थ हैं।

18 सितंबर, 2015 को मामले को सूचीबद्ध करें।”

36. जब यह मामला 18 सितंबर, 2015 को सामाजिक न्याय पीठ द्वारा उठाया गया, तो श्री गौरव अग्रवाल, अधिवक्ता को सामाजिक न्याय पीठ की सहायता के लिए एमिकस क्यूरी के रूप में नियुक्त किया गया था।

37. उस तारीख को, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने सामाजिक न्याय पीठ को सूचित किया कि गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के महानिदेशकों को विधिवत पत्र लिखकर यह सुनिश्चित किया है कि जिला कानूनी सेवा समिति के सचिव को एक अंडर ट्रायल समीक्षा समिति में सदस्य के रूप में शामिल किया जाए। विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने यह भी बताया कि मॉडल जेल मैनुअल दिसंबर , 2015 के मध्य में किसी समय उपलब्ध कराए जाने की संभावना है।

38. नालसा की ओर से श्री राजेश कुमार गोयल ने बताया कि 24 अप्रैल, 2015 के आदेश के पैराग्राफ 4 के संबंध में कुछ स्पष्टता की आवश्यकता है। इस अनुरोध के मद्देनजर, यह स्पष्ट किया गया कि ऐसा कोई आदेश नहीं है कि ए कई अपराधों के मामले में सजा की आधी अवधि पूरी कर चुके व्यक्ति को रिहा किया जाना चाहिए, यह निर्णय पूरी तरह से अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी को करना था और इस संबंध में रिहाई के लिए कोई निर्देश नहीं दिया गया था।

39. महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में विचाराधीन कैदियों के संबंध में, जो जमानत के हकदार थे, यह प्रस्तुत किया गया था कि 797 ऐसे विचाराधीन कैदियों में से लगभग 503 को रिहा कर दिया गया था और शेष विचाराधीन कैदियों के संबंध में कदम उठाए जा रहे थे।

40. सामाजिक न्याय पीठ द्वारा 18 सितंबर, 2015 को पारित आदेश इस प्रकार है:

"यह याचिका देश भर की 1382 जेलों में अमानवीय स्थितियों से संबंधित है। हमारे अनुरोध पर, श्री गौरव अग्रवाल, अधिवक्ता इस मामले में एमिकस क्यूरी के रूप में हमारी सहायता करने के लिए सहमत हुए हैं क्योंकि शिकायत डाक द्वारा प्राप्त हुई थी। रजिस्ट्री को इस मामले में सभी दस्तावेजों की एक-एक कॉपी श्री गौरव अग्रवाल को देनी चाहिए.

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने हमारा ध्यान 7 अगस्त, 2015 के आदेश की ओर आकर्षित किया है और उसके अनुपालन में उन्होंने कहा है कि गृह मंत्रालय ने 14 अगस्त, 2015 को सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के महानिदेशकों को यह सुनिश्चित करने के लिए लिखा है कि जिला विधिक सेवा समिति के सचिव को अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इसी तरह का एक पत्र 1 अगस्त, 2015 को नालसा द्वारा लिखा गया था। नालसा को इस पर अमल करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी में इसका प्रभावी प्रतिनिधित्व हो।

अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि हर जिले में अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी का गठन किया गया है या नहीं. विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल और श्री राजेश कुमार गोयल, निदेशक, नालसा इस पर गौर करेंगे और सुनवाई की अगली तारीख पर हमें प्रगति बताएंगे।

जहां तक जेल प्रबंधन के लिए सॉफ्टवेयर का सवाल है संबंधित, यह विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा कहा गया है सभी पुलिस महानिदेशकों को सूचित करने के लिए कहा गया है उपलब्ध

चार सॉफ़्टवेयर में से कौन सा उन्हें स्वीकार्य है। वह आगे कहा गया है कि सॉफ्टवेयर को क्लाउड पर एकीकृत किया जाएगा चाहे कुछ भी हो, सारी जानकारी उपलब्ध करायी जा सकती है जी सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा रहा है. वह अपेक्षा करता है कि लगभग दो महीने की अवधि के भीतर आवश्यक कार्य किये जायें ।

हम उम्मीद करते हैं कि प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस महानिदेशक इस संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा किए गए किसी भी अनुरोध पर शीघ्रता से प्रतिक्रिया देंगे।

2003 के मॉडल जेल मैनुअल के संबंध में, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा कहा गया है कि इस संबंध में बैठकें आयोजित की गई हैं और उम्मीद है कि मॉडल जेल मैनुअल दिसंबर, 2015 के मध्य में किसी समय उपलब्ध कराया जाएगा । बताता है कि इस परियोजना में शिक्षा जगत के साथ-साथ गैर सरकारी संगठनों के लोग भी जुड़े हुए हैं। उम्मीद है कि जेल मैनुअल में उन महिला कैदियों के लिए शिशुगृह स्थापित करने का भी ध्यान रखा जाएगा जिनके बच्चे हैं।

विचाराधीन कैदियों की रिहाई के संबंध में, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में, जैसा कि हमारे 24 अप्रैल, 2015 के आदेश में उल्लेख किया गया है, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का कहना है कि वर्तमान समय में उनके पास इस संबंध में कोई निर्देश नहीं है। , लेकिन गृह मंत्रालय राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों को लिखेगा कि वे हमारे आदेशों के संदर्भ में तत्काल कदम उठाएं।

नालसा के निदेशक श्री राजेश कुमार गोयल का कहना है कि कानूनी सहायता वकीलों को कानून के अनुसार विचाराधीन कैदियों की संभावित रिहाई के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया गया है।

श्री राजेश कुमार गोयल ने भी हमारा ध्यान आकृष्ट किया है 24 अप्रैल 2015 के आदेश के पैरा 4. हम इसे स्पष्ट करते हैं ऐसा कोई आदेश नहीं है कि जिस व्यक्ति ने सज़ा का आधा समय पूरा कर लिया है एकाधिक अपराधों के मामले में से, उसे रिहा किया जाना चाहिए। यह निर्णय लेना पूरी तरह से अंडर ट्रायल समीक्षा समिति और सक्षम प्राधिकारी पर निर्भर है और इस न्यायालय द्वारा ऐसे विचाराधीन कैदियों की रिहाई के लिए कोई निर्देश नहीं दिया गया है। उन पर अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी और सक्षम प्राधिकारी को कानून के अनुसार विचार करना होगा।

श्री राजेश कुमार गोयल, निदेशक, नालसा कहते हैं कि कदम पर्याप्त संख्या में पैनल वकीलों की नियुक्ति की जा रही है।

विचाराधीन कैदियों की रिहाई के संदर्भ में, उनका कहना है कि मबारराष्ट्र राज्य में, उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 797 विचाराधीन कैदी जमानत के हकदार थे और राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के प्रयासों से, लगभग 503 को रिहा कर दिया गया है। शेष विचाराधीन कैदियों के संबंध में कदम उठाए जा रहे हैं।

एन. ए. एल. एस. ए. के निदेशक श्री राजेश कुमार गोयल का कहना है कि राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव राज्यों में लंबित शमनीय अपराधों के मामलों के संबंध में प्रासंगिक जानकारी

संकलित करने की सलाह दी गई ताकि उनका जल्द से जल्द निपटारा किया जा सके। हम उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य एन. ए. एल. एस. ए. द्वारा लिखे गए पत्र का शीघ्रता से जवाब देंगे क्योंकि इन राज्यों में शमनीय अपराधों से संबंधित अधिकतम मामले लंबित हैं।

16 अक्टूबर, 2015 को मामले को सूचीबद्ध करें।"

41. उपरोक्त आदेश के अनुसरण में, नालसा ने 14 अक्टूबर, 2015 को एक और अनुपालन रिपोर्ट दायर की जिसमें कहा गया कि प्रत्येक जिले में एक अंडर ट्रायल समीक्षा समिति की स्थापना की गई थी। हालाँकि, अनुपालन रिपोर्ट के अनुलग्नक ने संकेत दिया कि जम्मू और कश्मीर राज्य और कुछ राज्यों विशेष रूप से गुजरात और उत्तर प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी, जिला कानूनी सेवा समिति के सचिव थे समीक्षा समिति का सदस्य नहीं बनाया गया.

42. यह भी कहा गया कि राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण से पर्याप्त संख्या में पैनल वकीलों की नियुक्ति करने का अनुरोध किया गया था और उन्हें विचाराधीन कैदियों की जल्द रिहाई के लिए कदम उठाने का निर्देश दें।

43. जब मामला 16 अक्टूबर, 2015 को उठाया गया तो सामाजिक न्याय पीठ ने इस बात पर दुख व्यक्त किया कि केवल तीन राज्यों ने अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी की त्रैमासिक बैठक आयोजित करने के संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा मांगी गई जानकारी का जवाब दिया था । या 30 सितंबर, 2015 से पहले। भारत संघ की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने कहा कि इस मामले को सभी राज्य सरकारों के साथ गंभीरता से उठाया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसी बैठकें नियमित रूप से

आयोजित की जाएं। यह भी कहा गया कि नवीनतम स्थिति रिपोर्ट जनवरी, 2016 के दूसरे सप्ताह में दाखिल की जाएगी।

44. विद्वान न्याय मित्र ने सामाजिक न्याय पीठ को सूचित किया कि हर जिले में अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी का गठन किया गया है एवं जिला विधिक सेवा समिति के एक प्रतिनिधि उक्त समिति में शामिल हैं।

दिनांक 16 अक्टूबर, 2015 का आदेश इस प्रकार है:

> "भारत संघ के विद्वान वकील से यह सुनना बहुत निराशाजनक है कि विचाराधीन कैदियों की रिहाई के संबंध में तीन राज्यों को छोड़कर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।
>
> अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी की बैठक 30 सितंबर , 2015 को या उससे पहले होनी थी, लेकिन भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा मांगी गई जानकारी पर केवल तीन राज्यों ने ही जवाब दिया है।
>
> भारत संघ के विद्वान वकील का कहना है कि इस मामले को अब सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बहुत गंभीरता से उठाया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि गृह मंत्रालय द्वारा दी गई सलाह के अनुसार बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाएं, हर तीन महीने में कम से कम एक बार.
>
> भारत संघ के विद्वान वकील का यह भी कहना है कि ताजा स्टेटस रिपोर्ट जनवरी 2016 के दूसरे सप्ताह में दाखिल होगी।
>
> इस बीच, विद्वान न्याय मित्र ने हमें सूचित किया कि प्रत्येक जिले में अंडर ट्रायल समीक्षा समिति की स्थापना की गई है और सभी

अंडर ट्रायल समीक्षा समितियों में जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के एक प्रतिनिधि को शामिल किया गया है और इसलिए , इस हद तक आदेश दिनांक 18 सितम्बर 2015 का अनुपालन किया गया है।

मामले को 29 जनवरी , 2016 को सूचीबद्ध करें। हम इसे स्पष्ट करते हैं भारत संघ के विद्वान वकील को पूरी जानकारी दी जानी चाहिए मामले के सभी पहलुओं में।"

45. 16 अक्टूबर, 2015 को पारित आदेश के अनुपालन में गृह मंत्रालय द्वारा 22 जनवरी, 2016 को एक हलफनामा दायर किया गया था जिसमें कहा गया था कि ई-प्रिज़न परियोजना के लिए सॉफ्टवेयर का विस्तृत मूल्यांकन पूरा हो चुका है और सभी राज्यों को उनके प्रस्तावों और उपयुक्त सॉफ्टवेयर के चयन के लिए उनके विकल्प का उपयोग करने के लिए दिशानिर्देश भी प्रसारित किए गए थे।

46. शपथ पत्र में कहा गया कि फंड का प्रावधान था क्राइम और क्रिमिनल से एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर के लिए बनाया गया है ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (सीसीटीएनएस) परियोजना और राशि ई के कार्यान्वयन के लिए 227.01 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई थी जेल परियोजना. यह स्थापित किया गया था कि ई-प्रिज़न प्रस्ताव थे सात राज्यों और अन्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त किया गया था गृह मंत्रालय द्वारा मूल्यांकन के लिए अपने प्रस्ताव में तेजी लाने को कहा मामले.

47. मॉडल प्रिज़न मैनुअल के संबंध में, यह कहा गया था कि संशोधित मॉडल प्रिज़न मैनुअल को सक्षम प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया था और इसे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वितरित किया गया था। संशोधित नियमावली में जेल में महिला कैदियों के बच्चों के लिए एक उपयुक्त शिशुगृह का प्रावधान भी शामिल था।

48. अंडर ट्रायल समीक्षा समिति की त्रैमासिक बैठकों के संबंध में, हलफनामे में उन तारीखों का खुलासा किया गया था जिन पर ऐसी समितियां बी की बैठक हुई थीं, लेकिन हलफनामे के साथ संलग्न चार्ट के अवलोकन पर एक स्पष्ट संकेत है कि ऐसी प्रत्येक समिति की बैठक नहीं हुई थी त्रैमासिक आधार। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।

49. विचाराधीन कैदियों के संबंध में किन पर विचार किया जा सकता है सीआरपीसी की धारा 436ए के प्रावधानों के तहत रिहाई के लिए, कुछ असम, बिहार राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों में प्रगति हुई है। छत्तीसगढ़, गोवा, कर्नाटक, मेघालय, पश्चिम बंगाल और संघ दादरा और नगर हवेली और लक्षद्वीप के क्षेत्र। यह कहा गया था हलफनामे में कहा गया है कि विस्तृत जानकारी के अभाव के बावजूद ऐसा किया गया ऐसा प्रतीत होता है कि अभ्यास के संस्थागतकरण के कारण, की संख्या विचाराधीन कैदी सीआरपीसी की धारा 436ए के तहत रिहाई के पात्र हैं। कुछ राज्यों में काफी कमी कर दी गई थी।

50. 29 जनवरी, 2016 को हुई सुनवाई में यह बताया गया कि काफी प्रगति हुई है क्योंकि मॉडल जेल मैनुअल को अंतिम रूप दे दिया गया है और शायद सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वितरित कर दिया गया है; परीक्षण के तहत समीक्षा समितियों के पास था इन्हें हर जिले में स्थापित किया गया था, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसी कई समितियां हर तिमाही में नियमित आधार पर बैठक नहीं कर रही थीं; जेल प्रबंधन के लिए एप्लिकेशन सॉफ़्टवेयर की कमोबेश पहचान कर ली गई थी लेकिन इस संबंध में अंतिम निर्णय लिया जाना आवश्यक था; विशेष रूप से उत्तर प्रदेश राज्य और महाराष्ट्र राज्य में विचाराधीन कैदियों की रिहाई के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता थी और जहां भी आवश्यक हो, राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण/जिला कानूनी सेवा समिति से जुड़े पैनल वकीलों की संख्या आवश्यक थी। विचाराधीन कैदियों और

उन कैदियों की शीघ्र रिहाई की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वृद्धि की गई है जो अपनी गरीबी और जमानत बांड प्रस्तुत करने में असमर्थता के कारण हिरासत में हैं। इसके अलावा, यह बताया गया कि यह सुनिश्चित करने के लिए कदम जी उठाए जाने चाहिए कि जहां भी व्यक्ति ऐसे अपराधों के तहत हिरासत में हैं जो समझौता योग्य अपराध हैं, उन्हें समझौता करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए, ताकि जेलों में भीड़ कम हो।

51. क्या जमीनी स्तर पर कुछ बदला है? 31 दिसंबर, 2014 तक जेल के आंकड़े एन. सी. आर. बी. 1 की वेबसाइट से उपलब्ध हैं। यह इंगित करता है कि जहां तक भीड़भाड़ का संबंध है, कोई बोधगम्य परिवर्तन नहीं हुआ है और वास्तव में भीड़भाड़ की समस्या शायद समय के साथ बढ़ती जाती है। इस संबंध में आंकड़े निम्नलिखित हैः

	केंद्रीय जेलें	जिला जेलें
क्षमता	1,52,312	1,35,439
वास्तविक	1,84,386	1.79.695
%	121.1 %	132.7 %
विचाराधीन क़ैदी	95,519 (51.8 %)	1,43,138 (79.7 %)

52. केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली की जेलों में सबसे अधिक भीड़ (331.7%) है, इसके बाद छत्तीसगढ़ (258.9%) और फिर दिल्ली (221.6%) है।

53.यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय द्वारा पारित कई आदेशों के बावजूद समय-समय पर विभिन्न याचिकाओं में, किसी न किसी कारण से जेलों में भीड़भाड़ का मुद्दा

लगातार बना हुआ है और इसके अलावा भी कोई समस्या नहीं है अन्यथा, ऐसा प्रतीत होता है कि इसने न्यायमूर्ति आर.सी. लाहोटी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र संबोधित करने के लिए प्रेरित कर लिया है जेल में भीड़भाड़ के इस विशिष्ट मुद्दे के लिए।

54. हम यह नहीं भूल सकते कि नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध, जिस पर भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है, अनुच्छेद 10 में प्रावधान करता है कि: "अपनी स्वतंत्रता से वंचित सभी व्यक्तियों के साथ मानवता का व्यवहार किया जाएगा और मानव की अंतर्निहित गरिमा का सम्मान किया जाएगा।" व्यक्ति।" इसी तरह, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा (यूडीएचआर) के अनुच्छेद 5 में प्रावधान है: "किसी को भी यातना या क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या दंड के अधीन नहीं किया जाएगा।" यूडीएचआर और कैदियों के साथ गरिमापूर्ण और इंसान के रूप में व्यवहार करने की आवश्यकता के संदर्भ में, विवियन स्टर्न (अब बैरोनेस स्टर्न) ए सिन अगेंस्ट द फ्यूचर: इमप्रिज़नमेंट इन द वर्ल्ड में निम्न प्रकार से कहते हैं

> "हिरासत में लिए गए लोगों को शामिल किया गया है क्योंकि मानवाधिकार सभी मनुष्यों तक फैला हुआ है। यह अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का मूल सिद्धांत है कि कोई भी चीज़ किसी इंसान को कुछ मानवाधिकार सुरक्षा की पहुंच से परे नहीं रख सकती है। कुछ लोग दूसरों की तुलना में कम योग्य हो सकते हैं। कुछ लोग अपने कई अधिकारों को खो सकते हैं कुछ लोग उचित और कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से कैद होने के कारण अपने कई अधिकार खो सकते हैं। लेकिन जीवन, स्वास्थ्य, निष्पक्षता और न्याय, मानवीय व्यवहार, सम्मान और दुर्व्यवहार या यातना से सुरक्षा के बुनियादी

> अधिकार बने हुए हैं। कोई राज्य लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है, इसके लिए एक न्यूनतम मानक है, चाहे वे कोई भी हों। किसी को भी इससे नीचे नहीं गिरना चाहिए।"

55. इसी तरह, जेलों और जेल संस्कृति को बदलने की दृष्टि से यह कहा गया है:

> "कैदियों के साथ वस्तुओं के रूप में नहीं, बल्कि वे जो मनुष्य हैं, उनके साथ व्यवहार करना, चाहे उनके पिछले कार्य कितने भी घृणित क्यों न हों, मानवीय गरिमा के प्रति एक दृढ़ प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करेगा। यह मानवीय गरिमा के प्रति प्रतिबद्धता है, जो अंततः, जेल की संस्कृति को बदलने के कोई भी प्रयास का आवश्यक आधार होगी।"

56. उपरोक्त चर्चा का सार और सार यह है कि कैदी, सभी मनुष्यों की तरह, सम्मान के साथ व्यवहार किए जाने के पात्र हैं। इसे प्रभावी बनाने के लिए, इस न्यायालय द्वारा कुछ सकारात्मक निर्देश जारी किए जाने की आवश्यकता है और ये इस प्रकार हैं:

1 .प्रत्येक जिले में अंडर ट्रायल समीक्षा समिति की बैठक हर तिमाही में होनी चाहिए और ऐसी पहली बैठक 31 मार्च, 2016 को या उससे पहले होनी चाहिए। जिला कानूनी सेवा समिति के सचिव को अंडर ट्रायल समीक्षा समिति की प्रत्येक बैठक में भाग लेना चाहिए और पालन करना चाहिए। उन विचाराधीन कैदियों और दोषियों की रिहाई के लिए उचित कदमों पर चर्चा जो अपनी सजा काट चुके हैं या उन्हें दी गई छूट के कारण रिहाई के हकदार हैं।

2 .अंडर ट्रायल समीक्षा समिति को विशेष रूप से सीआरपीसी की धारा 436 के प्रभावी कार्यान्वयन से संबंधित पहलुओं पर गौर करना चाहिए। और सीआरपीसी की

धारा 436 ए. ताकि विचाराधीन कैदियों को जल्द से जल्द रिहा किया जा सके और जो लोग अपनी गरीबी के कारण जमानत बांड नहीं भर सकते, उन्हें केवल इसी कारण से कैद में नहीं रखा जाए। अंडर ट्रायल समीक्षा समिति भी अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम , 1958 के कार्यान्वयन के मुद्दे पर गौर करेगी। विशेष रूप से पहली बार अपराध करने वालों के संबंध में ताकि वे समाज में पुनर्स्थापित और पुनर्स्थापित हो सकें।

3. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रत्येक राज्य, प्रत्येक जिले में जिला कानूनी सेवा समिति के सचिव के समन्वय से, यह सुनिश्चित करेगा कि विचाराधीन कैदियों और दोषियों, विशेष रूप से गरीबों और असहाय की सहायता के लिए पर्याप्त संख्या में सक्षम वकीलों को सूचीबद्ध किया जाए और गरीबों के लिए कानूनी सहायता ख़राब क़ानूनी सहायता नहीं बन जाए।

4. सचिव, जिला विधिक सेवा समिति विचाराधीन कैदी की रिहाई के मुद्दे पर भी गौर करेंगे समझौता योग्य अपराधों में बंदियों के लिए प्रयास किया जा रहा है अपराधों के शमन की संभावना का प्रभावी ढंग से पता लगाना परीक्षण की आवश्यकता के बजाय।

5. जेलों के प्रभारी पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उपलब्ध धनराशि का उचित और प्रभावी उपयोग हो ताकि कैदियों की रहने की स्थिति मानवीय गरिमा के अनुरूप हो। इसमें उनके स्वास्थ्य, स्वच्छता, भोजन, कपड़े, पुनर्वास आदि का मुद्दा भी शामिल है।

6. गृह मंत्रालय यह सुनिश्चित करेगा कि सभी केंद्रीय और जिला जेलों के साथ-साथ महिला जेलों में भी प्रबंधन सूचना प्रणाली जल्द से जल्द लागू हो ताकि जेल और कैदियों का बेहतर और प्रभावी प्रबंधन हो सके।

7. गृह मंत्रालय मॉडल जेल मैनुअल 2016 के कार्यान्वयन की वार्षिक समीक्षा करेगा जिसके लिए न केवल गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों बल्कि नागरिक समाज के व्यक्तियों द्वारा भी काफी प्रयास किए गए हैं। मॉडल जेल मैनुअल 2016 को एक और दस्तावेज़ तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए जिसकी समीक्षा केवल दशकों बाद ही की जा सकती है। वार्षिक समीक्षा में इसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता, यदि कोई हो, पर भी विचार किया जाएगा।

8. अंडर ट्रायल समीक्षा समिति मॉडल जेल मैनुअल 2016 में उठाए गए मुद्दों पर भी गौर करेगी, जिसमें उक्त मैनुअल में सुझाए गए नियमित जेल दौरे भी शामिल हैं।

हम तदनुसार निर्देश देते हैं।

57. मॉडल प्रिज़न मैनुअल के बारे में एक शब्द आवश्यक है। यह एक विस्तृत दस्तावेज़ है जिसमें 32 अध्याय हैं जो हिरासत प्रबंधन, चिकित्सा देखभाल, कैदियों की शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम, कानूनी सहायता, कैदियों के कल्याण, देखभाल और पुनर्वास सहित आगंतुकों का बोर्ड, जेल कम्प्यूटरीकरण इत्यादि विभिन्न मुद्दों से निपटते हैं। यह एक समग्र दस्तावेज़ है जिसे उचित गंभीरता और प्रेषण के साथ लागू करने की आवश्यकता है।

58. गृह मंत्रालय के प्रयासों से प्रेरणा लेते हुए आदर्श कारागार नियमावली तैयार करने में, यह सुनिश्चित करना उचित और आवश्यक प्रतीत होता है कि किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के संदर्भ में उन किशोरों के संबंध में एक समान नियमावली तैयार की जाए जो या तो अवलोकन गृहों या विशेष गृहों या सुरक्षा स्थानों में हिरासत में हैं।

59. तदनुसार, हम सचिव, महिला और बाल विकास, भारत सरकार मंत्रालय को नोटिस जारी करते हैं, 14 मार्च, 2016 को वापसी योग्य। उक्त मंत्रालय को नोटिस जारी करने का उद्देश्य उक्त मंत्रालय द्वारा एक नियमावली तैयार करने की आवश्यकता है जो किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के संदर्भ में अवलोकन गृहों या विशेष गृहों या सुरक्षा स्थलों में रहने वाले किशोरों की रहने की स्थिति और अन्य मुद्दों पर विचार करेगा।

60. हमारे सामने उठाए गए शेष मुद्दे, विशेष रूप से जेलों में अप्राकृतिक मौतों, कर्मचारियों की अपर्याप्तता और कर्मचारियों के प्रशिक्षण संबंधित मुद्दे पर सुनवाई की अगली तारीख पर विचार किया जाएगा।

मामला लंबित है।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता अर्जिता सिंह द्वारा किया गया है ।

अस्वीकरण- इस निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।